—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 122/2022

उनवान

जितेन्द्र दत्तक पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी ग्राम लोहरवाडा, नसीराबाद
—— वादी :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. राधा पुत्री रामचन्द्र पत्नी गोपाल जाति जाट निवासी ग्राम लोहरवाडा, हाल निवासी ग्राम देराठू, नसीराबाद
2. उप पंजीन अधिकारी, नसीराबाद
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 1 जरियें अधिवक्ता श्री अभिषेक जेन
2 व 3 जरिये राज. पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: निर्णय :— दिनांक :— 29.10.25

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम व पटवार हल्का लोहरवाडा की निम्न आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता रामचन्द्र पुत्र उगमा की खातेदारी/काश्तकारी की है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा
164/138	किता 3	2.00
163/151	किता 4	4.33
162/158	किता 33	11.87
161/156	किता 4	0.90
160/157	2490	0.10
159/139	1788	0.03
139/150	किता 2	0.50
138/149	2432	0.07

उपरोक्त आराजी हाल जमाबंदी में खातेदार रामचन्द्र पुत्र उगमा की खातेदारी में दर्ज है। रामचन्द्र द्वारा अपने जीवनकाल [illegible] गोद लिया था, जिसके लिये दिनांक 11.04.2016 को गोदनामा निष्पादि[illegible]या। रामचन्द्र की मृत्यु हो गयी है। जिसकी विरासत के लि[illegible] दिनांक 02.08.2022 को वादी द्वारा आवेदन किया गया किन्तु विरासत की [illegible] नहीं की गयी। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार बतौर गोदपुत्र वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को बतौर पुत्री [illegible] जावें। प्रतिवादी संख्या 1 को पाबंद किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.11.14 10:09:46 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब पेश कर वाद के तथ्यों को स्वीकार किया। राज. पैरोकार ने जवाब नहीं पेश करना जहिर किया।

प्रकरण में खण्डन नही होने के कारण तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने राजस्व अभिलेख व गोदनामा पेश किया तथा अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी ने प्रकरण में साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम लोहरवाडा की आराजी राजस्व अभिलेख में रामचन्द्र पुत्र उगमा व अन्य व्यक्तियो की खातेदारी में दर्ज है। रामचन्द्र पुत्र उगमा की मृत्यु दिनांक 19.07.2022 को हो गयी है। रामचन्द्र पुत्र उगमा द्वारा अपने जीवनकाल में वादी को गोद लिया था। जिसका पंजीबद्व गोदनामा दिनांक 11.04.16 को निष्पादित कराया गया। ग्राम पंचायत देरराठू द्वारा जारी दिनांक 09.09.2017 के प्रमाण पत्र अनुसार भी वादी रामचन्द्र का दत्तक पुत्र है। वादी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र में भी वादी के पिता का नाम रामचन्द्र ही है। प्रतिवादी संख्या 1 रामचन्द्र की पुत्री है। रामचन्द्र की आराजी पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का हक व अधिकार निहित है। प्रतिवादी संख्या 1 ने वाद के तथ्यों को स्वीकार किया है। राज. पैरोकार ने वाद का खण्डन नही किया है। वादी खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम लोहरवाडा के खाता संख्या 164/138 किता 3 रकबा 2.00, 163/151 किता 4 रकबा 4.33, 162/158 किता 33 रकबा 11.87, 161/156 किता 4 रकबा 0.90, 139/150 किता 2 रकबा 0.50, खसरा नम्बर 2432 रकबा 0.07, 2490 रकबा 0.01, 1788 रकबा 0.03 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त आराजी के बराबर हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.11.14 10:09:46 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

जितेन्द्र बनाम राधा

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 122 / 2022
पेश करने की दिनांक – 16.08.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत रावत मुद्दई अभिषेक जेन व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम लोहरवाडा के खाता संख्या 164 / 138 किता 3 रकबा 2.00, 163 / 151 किता 4 रकबा 4.33, 162 / 158 किता 33 रकबा 11.87, 161 / 156 किता 4 रकबा 0.90, 139 / 150 किता 2 रकबा 0.50, खसरा नम्बर 2432 रकबा 0.07, 2490 रकबा 0.01, 1788 रकबा 0.03 की आराजी पर वादी का वाद "**स्वीकार**" किया जाता है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त आराजी के बराबर हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 29 माह 10 सन् 2025 को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.11.14 10:09:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद